

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1567 का संशोधन सहित नवीकरण/ Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1567

विषय/Sub: इनवर्ड/आउटवर्ड रिलीफ वाल्व - 86 केपीए /

Inward/ Outward Relief Valve - 86 kPa

यह घोषित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बेंगलूरु – 560 017 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर (सीटीटीसी), ओडिसा – 751 024 द्वारा उत्पादित " इनवर्ड/आउटवर्ड रिलीफ वाल्व – 86 केपीए " पार्ट सं. ए1के- आई5-2050-000-001 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1567, दिनांक 25 नवंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1567 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1567/1ए, दिनांक 10 जून 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध है।

This is to state that the "Inward/Outward Relief Valve – 86 kPa" bearing the Part No. A1K-I5-2050-000-001 designed, developed by Aeronautical Development Agency, Bangalore – 560 017 and manufactured by M/s. Central Tool Room & Training Centre (CTTC) Orissa – 751 024 was issued with Type Approval No. 1567 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-1567, dated: 25th Nov 2010, and was subsequently issued Addendum vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1567/1A, dated: 10th June 2013 is valid upto 31st Dec 2015.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1567 और उसके परिशिष्ट ' ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा / The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1567 and its Appendix 'A'.

Sl No	Wherever/ For	Read as
1.	Part No.: A1K-I5-2050-000-000/ A1K-I5-2050-000-001 & Assembly Drawing No.: A1K-I5-2050-000- 000, Dt.: 15 th Sept 2010	Part No. : A1K-I5-2050-000-001 & Drawing No.: A1K-I5-2050-000-001 Issue:1, Dated : 10 th Sept 2015

ਧੂਬ/Page 01 of 02

ਸੁਲ/Page 02 of 02 ਵ ਦੀ ਦ सं./TA No. 1567 F-07-11 F-07-08

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(वायुयान), सेमिलैक, मारतहल्ली पोस्ट आफिस, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1567/2A/1Amd/1R

दिनांक/Date : / / October 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / **P.JAYAPAL** मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)